राजस्थान सरकार

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिंह तोमर, आर.ए.एस

मु0नं0 01/2015 तारीख रजू:– 03.07.2015

1. जगदीश पुत्र पानाबाई पत्नि बजरंगलाल जाति धाकड़ निवासी शाहपुरा तहसील मांगरौल जिला बारां जिला बारां
2 लेखराज
3 कौशल
4 चाहना
5 मोरबाई

} पिसरान बद्रीलाल पुत्र पानाबाई पत्नि बजरंलाल जाति धाकड़ निवासी शाहपुरा तहसील मांगरौल जिला बारां

:–प्रार्थिगण/निगरानीकार/अपीलार्थी/उज्रदारान

बनाम

1 देवीशंकर पुत्र नट्‌टीबाई पत्नि भैरूलाल नागर जाति धाकड़ निवासी फतेहपुर तहसील व जिला बारां

2 मनोज पिता छीतरलाल पुत्र भूलीवाई जाति धाकड निवासी शाहपुरा तहसील मांगरौल जिला बारां

3 रामकिशन दत्तक पुत्र चतरा जाति धाकड़ निवासी शाहपुरा तहसील मांगरौल जिला बारां

4 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मांगरौल जिला बारां

:–अप्रार्थिगण/गैरनिगरानीकार/प्रत्यर्थी/गैरउज्रदारान

उज्रदारी/आपत्तियॉ विरूद्व निर्णय सीलिंग प्रकरण कमांक 414/75 बमुकदमे सरकार बनाम कल्ली, रामकिशन दिनांक फैसला 19.03.1976, न्यायालय सहायक समाहर्ता एवं कार्यपालक दण्डनायक बारां

उपस्थितिः– 1 श्री ब्रजराजकिशोर शर्मा वकील उज्रदारान
2 श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा वकील अप्रार्थी नं. 2 व 3

निर्णय दिनांक :– 21.10.2019

1. वाकेयात इस प्रकार है कि वकील उज्रदार ने उज्रदारान की ओर से उज्रदारी प्रार्थनापत्र पेश कर बताया गया है कि दिनांक 19.03.1976 को कल्ली वेबा चतरा, रामकिशन पुत्र चतरा जाति धाकड़ निवासी शाहपुरा तहसील मांगरौल को सीलिंग से प्रभावित होना मान कर निर्णय पारित किया गया था उस निर्णय से नाखुश होकर न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश कोटा एवं राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.1977 को निर्णित करते हुए खारिज की गई, इन निर्णयो के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर मे अपील पेश की गई जिसमे न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.02.2006 को इस आदेश के साथ निर्णित की गई है कि अपीलान्ट पुनः विचारण न्यायालय मे [illegible]दारी पेश करे। प्रस्तुत उज्रदारी में निवेदन है कि स्व0 चतरा पुत्र [illegible] ग्राम शाहपुरा तहसील मांगरौल जिला बारां जो पूर्व जिला कोटा [illegible] की खाते[illegible] ग्राम शाहपुरा के खाता संख्या 50 मे कुल रकवा 110 वीघा 3 विस्वा [illegible] बीघा 12 बिस्वा [illegible] संख्या 39 मे कुल रकवा 129 बीघा 18 बिस्वा व ग्राम जडव[illegible] तहसील दीगोद [illegible] रकबा 95 वीघा 7 बिस्वा जो कुल रकबा 252 बीघा 12 विस्वा भूमि खातेदारी मे दर्ज था जिसका नामान्तकरण दिनांक 13.06.1959 को हो गया। चतरा की मृत्यु उपरान्त हिन्दू उत्तराधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.08.04 16:54:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर

अधिनियम के अनुसार बारिस में उसकी पत्नि कल्लीवाई उर्फ कल्याणी एवं पुत्रीयॉ दाखाबाई, पानाबाई, भूलीबाई, नटटीबाई उनके मालिक हुए।

2. चतरा की मृत्यु के उपरान्त दिनांक 22.03.1960 को फौती नामान्तकरण खुला, जिसमें वारिसान के रूप में उनकी पत्नि तथा दत्तकपुत्र रामकिशन का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया और रामकिशन ने राजस्व अधिकारी/कर्मचारियों से मिल कर मु. कल्लीबाई से धोखाधडी करके दिनांक 26.05.1960 को उक्त वर्णित आराजी में से 74 बीघा भूमि ग्राम शाहपुरा की अपने नाम रजिस्टर्ड दान पत्र प्राप्त कर उसका नामान्तकरण खुलवा लिया एवं रामकिशन ने कल्लीबाई को असत्य रूप से मृत बताकर राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर नामान्तकरण संख्या 8 तस्दीक करवाकर समस्त भूमि को अपने नाम दर्ज करा ली गई। जब कल्ली को इन तथ्यो की जानकारी हुई तो एक दावा संख्या 314/66 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टरा बारां मे निर्णय दिनांक 13.07. 1971 द्वारा उक्त इन्तकाल को निरस्त करवाया गया उस दावे के दौरान दिनांक 19.11. 1967 को कल्ली का देहान्त हो गया और कल्ली के देहान्त होने पर दिनांक 01.07.1968 को चारों पुत्रीयों को उक्त प्रकरण में कायम मुकाम बनाया गया। कल्लीबाई ने अपने जीवनकाल में नामान्तकरण संख्या 11 दिनांक 02.08.1960 से खसरा नं0 522 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा भूमि पुत्री पानाबाई व नामान्तकरण संख्या 9 दिनांक 02.09.1960 को 129 बीघा 13 बिस्वा भूमि नामान्तकरण संख्या 50 से खतोनी (जमाबंदी) सम्बत 2029 से 32 मे पानाबाई की 28 बीघा 29 बिस्वा, दाखावाई के 13 बीघा 5 बिस्वा, भूरीबाई के 11 बीघा 4 बिस्वा व नटटीबाई के 24 बीघा 6 बिस्वा भूमि नामान्तकरण कर दर्ज करवाई। इस प्रकार से मृतक चतरा की अपनी वेवा एवं चारो पुत्रीयो के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज हुई और उस भूमि पर 1960 तक लगातार कब्जाकाश्त रही जो रिकॉर्ड से प्रमाणित है।

3. नया सीलिंग कानून 01.01.1973 को अमल में आया जिसके अनुसार प्राधिकृत अधिकारी एवं समाहर्ता से सीलिंग अधिनियम की धारा 11 व 12 के तहत कार्यवाही कर कल्ली व रामकिशन को उदघोषणा प्रस्तुत करने का नोटिस 1975 में दिया गया जबकि उक्त आराजीयात के कल्ली के अलावा राजस्व रिकॉर्ड में चारों लडकियों के नाम खातेदारी में अंकित था कल्ली की मृत्यू दिनांक 19.11.1967 को हो गई और वारिसान के तौर पर उनकी लडकियो के नाम खातेदारी में दर्ज हो गया किन्तु उनको किसी प्रकार का नोटिस नही दिया गया ना ही जवाबदेही का मौका दिया गया रामकिशन को गैरकानूनी तरीके से कल्ली का इकलोता वारिस मानकर सीलिंग की कार्यवाही दिनांक 19.03.1976 में फैसला कर दिया गया और रामकिशन को 75 बीघा भूमि का अधिकारी मानकर 177 बीघा भूमि अधिग्रहण करने का आदेश दे दिये गये जबकि मृतक चतरा की मृत्यु होने के बाद उनकी बेवा व चार पुत्रीयाँ भी वारिस के तौर पर थी किन्तु उनको पक्षकार नही बनाया गया ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया है जो निर्णय पारित किया गया वह विधि के विरूद्व है वर्तमान में चतरा की पत्नि कल्ली एवं पुत्रीयों में दाखाबाई, भूलीबाई, पानाबाई एवं नट्टीबाई का भी देहान्त हो चुका है जिनके वारिस 1 ता 5 उज्रदारान है इस प्रकार से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण करते समय उनके वारिसो को न तो सुना गया ना ही रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। परिवार के सभी सदस्य उक्त विवादित आराजी में जो हिस्सा आराजी उनके खातेदारी मे आया है उसी पर आश्रित है तथा उनकी आजीविका का एक मुख्य साधन है जो सीलिंग सीमा मे नही आती है। अंत में उज्रदारी पेश कर निवेदन है कि न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी सहायक समाहर्ता एवं कार्यपालक दण्डनायक बारां का मुकदमा नं0 414/75 सरकार बनाम कल्ली, रामकिशन के निर्णय दिनांक 19.03.1976 को पुनः विचारण करते हुए निर्णय पारित फरमाया जावे तथा कल्ली के वारिसान को रिकार्ड पर लिया [illegible] चतरा की मृत्यू उपरान्त उनके हिस्से मे आई आराजी को उन्हे [illegible] दिया जावें तथा भूमि को सीलिगं से मुक्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.08.04 16:54:40 IST
Reason: SelfAttested

4. उज्रदारान का प्रार्थनापत्र दर्ज [illegible] को जरिये नोटिस तलव करते हुए कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बारां से निर्णय की पत्रावली प्राप्त की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बारां

5. अप्रार्थी नं. 1 देवीशंकर पुत्र नटटीवाई पत्नि भैरूलाल नागर निवासी फतैहपुर को नोटिस तामील होने के बावजूद उपस्थित नही आया। अप्रार्थी नं. 2 व 3 जरिये वकालांतन उपस्थित आया उनकी और से किसी प्रकार का जवाव पेश नही करते हुए सीधे ही बहस करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी सं. 4 तहसीलदार कार्यालय मांगरौल को बाद तामील लिखित जबाव मे उज्रदारी प्रार्थना पत्र संख्या 01/2015 के तथ्यो को स्वीकार किया गया है।

6. उभयपक्षकारान अभिभाषकगणो को बहस हेतु मौका दिया गया किन्तु दोनो पक्षो ने उज्रदारान द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस को ही माने जाने हेतु निवेदन किया है अप्रार्थीयान की ओर से किसी प्रकार की लिखित एवं मौखिक बहस प्रस्तुत नही की गई है।
वकील उज्रदार ने अपनी लिखित बहस में उज्रदारान का आवेदन पत्र को दोराते हुए कथन कहा है कि मूल खातेदार चतरा था उसकी ग्राम शाहपुरा व ग्राम जड़बडोद मे खातेदारी की भूमि थी चतरा का स्वर्गवास वर्ष 1960 के लगभग हो गया है। जिसकी वेवा कल्ली उर्फ कल्याणी थी उसकी भी मृत्यू वर्ष 1968–69 मे हो गई उसके चार पुत्रीयॉ कमशः दाखावाई, पानावाई, भूलीवाई एवं नटटीवाई एवं एक दत्तक पुत्र रामकिशन था चतरा का स्वर्गवास हो जाने पर तहसीलदार द्वारा जो नामान्तकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के विपरीत खोला गया है जिसमें चारों पुत्रीयॉ के नाम छोड़ते हुए मात्र उसकी बेवा कल्ली उर्फ कल्याणी के नाम दोनो गॉवो की भूमि दर्ज कर दी गई जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से ही प्रभावी है जिसके धारा 8 के अनुसार मृतक के प्रथम श्रेणी के वारिस विधवा, पुत्र, पुत्रीयॉं समान हिस्से के होने है किन्तु ऐसा न करते हुए अवैद्य तरीके से नामान्तकरण दर्ज किया गया है वारिसो की संख्या के अनुसार प्रत्येक वारिस का 1/6–1/6 बनता है जिसके संबंध में रूलिंग 1995 आर.आर.डी पेज नं. 113 व 1994 आर.आर.डी पेज नं. 77 पर ये व्यवस्था की गई है। इस अनुसार कल्लीवाई मात्र 1/6 हिस्से का हकदार थी तथा उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में एस.ए.आर.611 पर भी यही सिद्वान्त प्रतिपादित किया है एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने 1995 आर आर डी पेज नं. 112 पर भी प्रतिपादित किया है कि मृतक के वारिस लडका व मृतक की वेवा होने से, वेवा ने अपने बेटे के नाम पूरी भूमि दर्ज कराने की सहमति तहसील मे देने पर तहसीलदार ने समस्त भूमि बेटे के नाम दर्ज कर दी तथा सीलिंग कार्यवाही में पूरी भूमि अकेले वेटे के नाम होने से सीलिंग अधिकारीयो ने एक यूनिट मान कर निर्णय दिया गया जिस पर राजस्थान उच्च न्यायालय मे माना की माता के द्वारा अपने हिस्से को पुत्र के पक्ष में छोडने का रजिस्टर्ड दस्तावेज नही होने से माता व बेटा दोनो का अधिकार माना जावेगा चाहे भूमि अकेले वेटे के नाम हो तथा दो यूनिट माता व बेटे की मानकर निर्णय देना होगा इस प्रकार से न्यायालय राजस्व मण्डल एवं सर्वोच्य न्यायालय के प्रतिपादित सिद्वान्त से स्पष्ट है कि मृतक चतरा की सम्पत्ति उसके छः वारिसो की समान हिस्से से है अकेली कल्ली का नाम गलत दर्ज दर्ज किया गया है कल्ली वर्ष 1968 में फौत हो गई है जिससे उसके उज्रदारी उसकी वसीयत के अनुसार या हिन्दू उत्तराधिकार कानून दोनो के अनुसार उसकी लड़कियॉं यानि चारों लडकियों से है। मूल न्यायालय पत्रावली सहायक समाहर्ता (सहायक कलक्टर) बारां की पृष्ठ संख्या 25 पर [illegible] जमाबंदी सम्बंत 1925 से 1928 (सन् 1968–69) एवं जमाबंदी संवत 2029 से [illegible] (सन 1972 से 1975) में भूमि चारो पुत्रियों के अलग–अलग [illegible] खातेदारी [illegible] अर्थात उनकी खातेदारी में दर्ज थी एवं चूंकि दिनांक 01.01.1973 [illegible] इस दस्तावेजी शहादत से प्रमाणित होता है कि नया सीलिंग कानून आने की दिनांक 01.01.1973 को चतरा की भूमि उसकी वेवा के नाम नही थी बल्कि चारो पुत्रीयों के नाम थी जिसमें चारो का सीलिग कानून के तहत निर्धारण होना था मूल न्यायालय पत्रावली सहायक समाहर्ता (सहायक कलक्टर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.08.04 16:54:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

बारां की पृष्ठ संख्या 81 पर अंकित नामांतकरण संख्या 75 ग्राम शाहपुरा तहसील मांगरौल जिला कोटा (वर्तमान जिला बारां) में संवत् 2030 में भी "कल्ली के फौत होने एवं लडकियों/पुत्रियों भूलीबाई, पानाबाई, नट्टीबाई एवं दाखाबाई शादीशुदा मौजूद है" का स्पष्ट उल्लेख (नोट) है एवं चूंकि रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 26.05.1960 के आधार पर कल्ली बेबा चतरा के नाम दर्ज आराजी का कल्ली के हिस्से की सीमा तक ही बहक नामांतकरण रामकिशन के हक में (दिनांक 10.09.1965) स्वीकार होना संभव है न कि चारों पुत्रियों, जिनके नाम भूमि खातेदारी में दर्ज है एवं जिनके द्वारा कोई दानपत्र इत्यादि दस्तावेज तस्दीक नही किया है, के हिस्से की जमीन रामकिशन को अंतरित नही की जा सकती थी। नया सीलिंग कानून 1973 में प्रभाव में आया। इस कानून की कार्यवाही करने के लिए धारा 12 के अनुसार ड्राफ्ट स्टेटमेण्ट जारी करना आवश्यक है। किन्तु बिना ड्राफ्ट स्टेटमैण्ट तैयार किये एवं बिना सूचना तथा आपत्ति का मौका दिये बिना सीलिंग सीमा का निर्धारण नही हो सकता है। जिसमें 1978 आर आर डी पेज नं. 355 पर प्रतिपादित है तथा 2001 डी एल जे (राज0) पेज 405 पर भी यही सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है इस प्रकार से सीलिंग प्राधिकृत अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 19.03.1976 के विरूद्व दत्तक पुत्र रामकिशन को बिना चारों पुत्रियों को पक्षकार बनाये अपील पेश की जो दिनांक 26.07.1976 को निरस्त की गई जिसकी जानकारी चारो पुत्रीयॉ को मिलने पर राजस्व मण्डल, अजमेर में द्वितीय अपील पेश की गई जो दिनांक 13.07.1977 को निरस्त की गई चारो पुत्रीयॉ इस निर्णय के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर मे रिट याचिका नं. 1633/06 पेश की गई जिसमें माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.02.2006 को निर्णय पारित कर अभिनिर्धारित किया गया कि सक्षम अधिकारी के यहॉ अपनी आपत्तियॉ पेश करने का अधिकार दिया गया है और उसी अनुसार माननीय न्यायालय मे आपत्तियॉ पेश की गई है अंत में आपत्तियॉ को स्वीकार फरमाई जाकर पूर्व में दिया गया सीलिंग निर्णय को निरस्त करते हुए सीलिंग सीमा से कम भूमि होने की कर्यवाही समाप्त फरमाई जावे।

7. वकील उज्रदार की लिखित बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां की सींलिग पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि सबंधित आराजी का मूल खातेदार चतरा था जिसकी मृत्यु 1960 में हो गई थी चतरा के एक वेवा कल्ली उर्फ कल्याणी तथा चार पुत्रीयॉ दाखाबाई, पानाबाई, भूलीबाई, और नट्टीबाई थी इसके अतिरिक्त एक दत्तक पुत्र रामकिशन था चतरा की मृत्यू के बाद तहसील द्वारा वारिसान का नामान्तकरण केवल कल्ली उर्फ कल्याणी के नाम दोनो गॉवो की भूमि का दर्ज किया गया था जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार मृतक की भूमि के चारों पुत्रियों व दत्तक पुत्र तथा विधवा समान हिस्से के वारिस है इस प्रकार चतरा की खातेदारी भूमि मे प्रत्येक वारिस का 1/6–1/6 हिस्सा बनता है परन्तु हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के विपरीत केवल चतरा की विधवा के नाम नामान्तकरण दर्ज करना कानूनन अवैद्य था। चतरा की मृत्यू के बाद दिनांक 22.03.1960 को चतरा का फौती (कायम मुकाम) नामान्तकरण पत्नि कल्लीबाई के नाम होकर राजस्व रिकॉर्ड के दर्ज हुआ कल्लीबाई की मृत्यू होने के उपरांत उसका नामान्तकरण संख्या 50 दिनांक 10.09.1965 को जो दानपत्र के अनुसार दर्ज किया गया है चूंकि रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 26.05.1960 के आधार पर कल्ली बेबा चतरा के नाम दर्ज आराजी का कल्ली के हिस्से की सीमा तक ही बहक नामांतकरण रामकिशन के हक में (दिनांक 13.05.1974) स्वीकार होना संभव है न कि चारों पुत्रियों, जिनके नाम भूमि खातेदारी में दर्ज है एवं जिनके द्वारा कोई दानपत्र इत्यादि दस्तावेज तस्दीक नही किया है, के हिस्से की जमीन रामकिशन को अंतरित नही की जा सकती थी। जबकि कल्ली की चारो पुत्रीयॉ के नाम जमाबंदी सम्बत 2029 सें 32 के खाता संख्या 71, 40, 57, 47 मे खातेदारी अभिलिखित हो गई थी। मूल न्यायालय पत्रावली सहायक समाहर्ता (सहायक कलक्टर) बारां की पृष्ठ संख्या 25 पर शहादत जमाबंदी सम्बंत 1925 से 1928 (सन् 1968–69) एवं जमाबंदी संवत् 2029 से 2032 यानी सन् 1972 से 1975 में भूमि चारों

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.08.04 16:54:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पुत्रियों के अलग–अलग नामो से खातेदारी है अर्थात् उनकी खातेदारी में दर्ज थी एवं चूंकि दिनांक 01.01.1973 का सम्वत् 2030 है इस दस्तावेजी शहादत से प्रमाणित होता है कि नया सीलिंग कानून आने की दिनांक 01.01.1973 को चतरा की भूमि उसकी बेवा के नाम नही थी बल्कि चारो पुत्रीयॉ के नाम थी जिसमें चारो का सीलिग कानून के तहत निर्धारण होना था मूल न्यायालय पत्रावली सहायक समाहर्ता (सहायक कलक्टर) बारां की पृष्ठ संख्या 81 पर अंकित नामांतकरण संख्या 75 ग्राम शाहपुरा तहसील मांगरौल जिला कोटा (वर्तमान जिला बारां) में संवत् 2030 में भी "कल्ली के फौत होने एवं लडकियों/पुत्रियों भूलीबाई, पानाबाई, नट्टीबाई एवं दाखाबाई शादीशुदा मौजूद है" का स्पष्ट उल्लेख (नोट) है। हस्तगत प्रकरण में कल्लीबाई का कायम मुकाम एक मात्र दत्तक पुत्र रामकिशन को मानते हुए उससे घोषणापत्र प्राप्त किया राजस्थान कृषि जोतों की अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 जो दिनांक 01.01.1973 से लागू हुआ है एव ग्राम शाहपुरा तहसील मांगरौल की जमाबंदी सम्बंत 2029 से 32 में कल्ली की चारों पुत्रीयॉ के नाम खातेदारी में दर्ज हैं जब सीलिंग कानून से पूर्व यानी 01.01.1973 से पूर्व तैयार जमाबंदियो मे प्रविष्टी है तो सीलिंग कानून 1973 की धारा 11 व 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भूमि से हितवद्ध व्यक्तियो को प्रारूप विवरण तैयार कर नोटिस धारा 11 (1) के तहत तामील करा कर आक्षेप प्राप्त करने का प्रावधान है परन्तु प्राधिकृत अधिकारी ने कल्ली की चारो पुत्रीयॉ जो कि चतरा की भूमि में हितवद्व थी उन्हे किसी प्रकार का नोटिस जारी नही किया गया है जबकि रिकॉर्ड पर लडकियों के नाम उपलब्ध थे तथा उनकी जानकारी मे भी थे प्राधिकृत अधिकरी द्वारा रामकिशन दत्तकपुत्र को ही सुनवाई का अवसर देकर निर्णय किया गया है। यदि प्राधिकृत अधिकारी पुत्रीयो को सींलिग अधिनियम की धारा 12 के तहत नोटिस जारी कर सुनवाई करते तो पूर्ण तथ्य प्रकाश में आ जाते। प्रावधानो के विपरीत कार्यवाही करने के कारण यह कार्यवाही दूषित हो जाती है। साथ ही वकील उज्रदारी द्वारा जो रूलिंग 1995 आर आर डी पेज नं. 113 व 1994 आर आर डी पेज नं. 77 पेश की गई है उसमे यह व्यवस्था है कि मृतक के वारिसानो के नाम भूमि दर्ज होनी चाहियें उसके मुताबिक मृतक चतरा की भूमि में कल्ली का मात्र 1/6 हिस्सा है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय 2015 एस ए आर 611 पर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अनुसार वारिसो को प्राप्त होने वाला हिस्सा इन्तकाल की कार्यवाही में एक वारिस द्वारा अपना हिस्सा स्वेच्छा से छोड देने पर भी अकेले वारिस ने नाम खोले जाने पर भी उस छोडने वाले हिस्से का अधिकार समाप्त नही होगा इसमे कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज भी नही है नामान्तकरण से किसी का अधिकार समाप्त व प्राप्त नही होते है। यह सिद्वान्त राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने 1995 आर आर डी पेज नं. 112 पर प्रतिपादित किया है कि मृतक के वारिस लडका व मृतक की वेवा होने से वेवा ने अपने बेटे के नाम पूरी भूमि दर्ज करने की सहमति अकेले वेटे के नाम दर्ज कर दी। जिससे अकेले बेटे के नाम भूमि होने पर उसी को ही एक यूनिट मानकर सीलिंग की कार्यवाही की गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना है कि माता के द्वारा अपना हिस्सा बेटे के पक्ष में छोडने का रजिस्टर्ड दस्तावेज नही होने से माता व बेटा दोनो का अधिकार माना जावेगा चाहे वह भूमि अकेले बेटे के नाम हो किन्तु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मात्र दत्तकपुत्र को ही एक भूमि मालिक मानकर सीलिंग अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के आदेश पारित किये गये है।

उपरोक्त विवेचन से यह सिद्ध हो रहा है कि मृतक चतरा पुत्र नन्दा की ग्राम शाहपुरा एवं ग्राम जडवडोद में कुल 252 वीघा 12 विस्वा भूमि का खातेदार था ओर उसके वारिस उसकी वेवा कल्ली उर्फ कल्याणी एवं चार पुत्रीयॉ थी जिसका विधिवत राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2025 से 2028 एवं सम्वत् 2029 से 2032 तक दोरो के तौर पर दर्ज रिकॉर्ड थी। तत्समय मृतक चतरा के दत्तकपुत्र रामकिशन द्वारा समस्त आराजी अपने नाम वसीयत से अपने नाम दर्ज करा ली इसके अतिरिक्त एक अन्य दानपत्र से भी कल्ली की समस्त भूमि अपने नाम दर्ज करा ली इसकी जानकारी होने पर अपीलीय न्यायालय मे अपील दायर की गई थी किन्तु दोरान अपील कल्ली फौत हो गई ओर समस्त जमीन रामकिशन के नाम दर्ज रही। नवीन सीलिंग अधिनियम 01.01.1973 को प्रभाव में आने के उपरांत वर्ष 1975 में यह समस्त भूमि रामकिशन दत्तक पुत्र चतरा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.08.04 16:54:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

नाम दर्ज होने पर स्वतः ही उक्त भूमि अंतरण सीलिंग कानून के खिलाफ है। जबकि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सीलिंग अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 11, 12 के तहत अधिक भूमि होने पर मात्र इस भूमि पर रामकिशन को एक यूनिट मानते हुए भूमि कमाण्ड क्षैत्र में होने पर 79 प्रतिशत का लाभ देकर 30.77 ऐकड़ एक यूनिट को मानते हुए 252 वीघा 12 विस्वा में से 75 वीघा 8 विस्वा भूमि रामकिशन के नाम छोडते हुए शेष 175 वीघा 4 विस्वा भूमि अधिग्रहण की गई थी जबकि मृतक चतरा के एक वेवा कल्ली एवं चार पुत्रीयॉ दाखावाई पानावाई नट्टीवाई एवं भूलीवाई एवं एक दत्तकपुत्र रामकिशन भी था इस अनुसार चतरा के छः वारिस प्रमाणित होते है क्योकि नामान्तकरण संख्या 11 दिनांक 02.08.1960, नामान्तकरण संख्या 09 दिनांक 02.09.1960, नामान्तकरण संख्या 50 ग्राम शाहपुरा आदि से भूमियॉ पुत्रीयो के नाम खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड हो गई जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतक खातेदार चतरा की विरासत उसकी वेवा, दत्तकपुत्र रामकिशन व चारो पुत्रीयो के नाम विवादित भूमि में हित अवतरित होते है जिसमे सभी का 1/6–1/6 हिस्सा हो जाता है इस तरह विरासत का निर्धारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 में विहीत विधिक प्रावधानों के विपरीत किया गया है। दत्तक पुत्र रामकिशन के अलावा चतरा के जायज वारिस चार विवाहिता पुत्रीयॉ भी है किन्तु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सीलिंग अधिनियम के तहत अधिग्रहण के समय राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन नही किया गया है। चतरा की चारों विवाहिता पुत्रीयो को किसी प्रकार का नोटिस भी नही दिया गया है। जहॉ तक दत्तकपुत्र रामकिशन का सवाल है वहां पर चतरा की वेवा कल्ली उर्फ कल्याणी की भूमि रामकिशन के नाम बेवा कल्ली के व्यक्तिगत एवं निजी हिस्से की सीमा (1/6) तक उसके हिस्से की अंतरित होनी चाहिए थी किन्तु यह समस्त भूमि रामकिशन के नाम होकर एक यूनिट माना गया है जो विधिविरूद्व है क्योकि सीलिंग अधिनियम 1973 जो कि 01.01.1973 से प्रभाव में आया है उससे पहले उक्त भूमियो मे चतरा की लडकियो का नाम भी राजस्व रिकॉर्ड मे था उन्हे भी परिवार का सदस्य मानकर उसी अनुसार अधिग्रहण से भूमि छोडनी चाहिए थी इस प्रकार से चतरा की वेवा कल्ली उर्फ कल्याणी फौत हो जाने पर भी वर्तमान मे चतरा के पॉच वारिस रह जाते है उसी के अनुसार परिवार के पॉच सदस्य राजस्व रिकॉर्ड से साबित होते है। भूमि कमाण्ड क्षेत्र मे होने पर सीलिंग अधिनियम 1973 के नियमो के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा पारित निर्णय के दर्शित ऐकड के अनुसार प्रति यूनिट (सदस्य) 30.7 ऐकड़ के हिसाव से प्रति यूनिट 75 वीघा 8 विस्वा भूमि बनती है। इस प्रकार से प्रत्येक सदस्य को 75 वीघा 8 विस्वा की गणना करने पर 377 वीघा बनती है जबकि मृतक की समस्त खातेदारी भूमि 252 वीघा 12 विस्वा ही थी। रामकिशन दत्तकपुत्र चतरा जो सीलिंग अधिकतम अधिरोपण अधिनियम 1973 की श्रेणी में नही आता है। इस पर उज्रदारान की ओर से प्रस्तुत नया सीलिंग कानून 1973 के विधिक प्रावधान एवं न्यायिक द्वष्टांय हस्तगत प्रकरण में पूर्णरूपेण साबित हो रहे है।

8. The Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 की धारा 1(3) इस प्रकार है:–

"It shall be deemed to have come into force in whole of the state of Rajasthan with effect from the 1st of January, 1973. Death of Original holder before 1-1-1973 – Ceiling Area should be determined with reference to holding of the successors on 01-01-1973 **(Nirbhai Singh Vs State of Rajasthan, 1989 RRD 166)** The crucial date for deciding ceiling cases is 01-01-1973

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.08.04 16:54:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

इसी प्रकार सीलिंग एक्ट 1973 की धारा 2(f) में परिवार की परिभाषा इस प्रकार है "Family" Shall mean a family consisting of husband, wife and their children but excluding married minor daughter.

इसी प्रकार सीलिंग एक्ट 1973 की धारा 2(m) में Separate Unit की परिभाषा इस प्रकार है "Separate unit" means an adult son and in case of his death, his widow and children, if any;

Likewise daughters who were already married on 01-01-1973 whether major or minor cannot be taken to be family members. **(Mst. Shanti Devi Vs State of Raj. 1989 RRD 17)**.

Family-Mother-Right of- H.S. Act, Section 14- Widowed mother of assesse (appellant) entitled to equal share with assessee in lands left by her husband who died in 1962 after H.S. Act came into force-Mother of assesse, not covered in definition of family under section 2(f) – Land falling to share of mother could not be clubbed with that of assessee-1976 RRD 202, 301, 418&481 no longer good law in view of 1979 RRD 208 (H.C.)- Correct law, laid down in 1972 RRD 259, 1796 RRD 14&474 and 1978 RRD 237, 1976 RRD 566 distinguishable. **(Chatra Ram Vs State of Raj. 1985 RRD 759)**

Married daughters – Held, could not be included in member of family members of assessee(appellant) particularly when he himself not claimed them as his family members in his reply to D.S.**(Takhat Singh Vs State of Raj. 1985 RRD 739)**

Daughters who was major and married before the commencement of the Act could not be treated as a member of the family.**(Sanwat Singh Vs State of Raj. 1994 RRD 688)**

Section 2- Land in holdings should be determined as on 01-01-1973 where original holder died before this date assessment should be made separately in respet of each their treating them as separate units.**(Gulla Vs State of Raj. 1988 RRD 550)**

इसी प्रकार सीलिंग एक्ट 1973 की धारा 2(m) में Separate Unit की परिभाषा इस प्रकार है:–

Section 2(m)-Separate Unit- Ceiling law is not a penal but a social law and welfare state could not only act fairly but should sent to be acting fairly-where assessee, a widow since long before the coming into force of ceiling law, consistently claimed that the land was ancestral but did not produce evidence in support of her assertion, it was the duty of the state to establish from the record in its possession that holdings was not ancestral-it could not take advantage of the lacuna in the widow's case to

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.08.04 16:54:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला

reject her plea.**(Krishna gopal &Ors. vs State of raj- 1994 RRD 440)**

इसी प्रकार सीलिंग एक्ट 1973 की धारा 5(b) में वर्णित विद्यिक प्रावधान इस प्रकार है:–

Rules for computation of ceiling area – In computing the ceiling area applicable to a person or a family, the following rules shall be observed-

"where any land is held by more than one person as co-tenants or co-shares, the area of land corresponding to the share of each of them at the commencement of this act shall be deemed to be his separate holding whether a division thereof has or has not actually taken place."

चतरा पटेल उर्फ चतुर्भुज धाकड़ की मृत्यु वर्ष 1959 में होने के उपरांत चतरा की वेबा कल्ली के साथ–साथ संवत् 2025–28 एवं 2029–32 में पानाबाई, दाखाबाई, नट्टीबाई एवं भूलीबाई चारों पुत्रियां रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार जमाबंदी में अंकित रहे है एवं बिना विद्यिक प्रक्रिया अपनायें राजस्व अधिकारी द्वारा चारों पुत्रियों के खातेदारी अधिकारों का अवसान कर दिया है अर्थात् धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् ही उक्त चारों पुत्रियों के खातेदारी अधिकारों का अवसान किया जा सकता है जबकि वर्तमान प्रकरण में धारा 63 के तहत् विद्यिक प्रक्रिया नही अपनायी गयी है। खातेदारी अधिकारों की समाप्ति हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 में उल्लेखित विद्यिक प्रावधान इस प्रकार है:–

Section 63 Tenancy When estinguished-

(1) The interest of tenant in his holding or a part thereof, as the case may be, shall be extinguished-

(i) When he dies leaving no heir entitled to merit in accordance with the provisions of this Act;

(ii) When he surrenders or abandons it in accordance with the provisions of this Act;

(iii) When his land has been acquired under the Land Acquisition Act, 1894 Central Act No. 1 of 1894);

(iv) When he has been deprived of possession and his right to recover possession is barred by limitation;

(v) When he has been ejected therefrom in accordance with the provisions of this Act,

(vi) When he acquires [illegible] rights therein of a landholder or the landholder [illegible] or otherwise acquires the same,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.08.04 16:54:40 IST
Reason: SelfAttested

(vii) When he sells or [illegible] thereof in accordance with the provisions of this Act, or

(viii) if he migrates from india to a foreign country without obtaining a valid passport or without lawful authority;

अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

(ix) if the allotment of land is cancelled or the land is ordered to be resumed under the provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act No. 15 of 1956 or rules framed thereunder or under any other law for the time being in force.

अतः दिनांक [illegible] पत्र जो कि कल्लीबाई द्वारा दतकपुत्र रामकिशन के हक में [illegible] उल्लेख है चूंकि कल्लीबाई को पति मृतक चतरा से 1/6 हिस्सा जरिये विरासत इन्तकाल प्राप्त हुई थी। अतः अपने हिस्से की सीमा तक ही उक्त रकबा/हिस्सा 1/6 का इन्तकाल दिनांक 13.05.1974 को तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया जाना ही विधिसम्मत है जो कि नये सीलिंग कानून 1973 अनुसार अर्थात् दिनांक 01.01.1973 के पश्चात् तस्दीक किया गया अर्थात् दिनांक 01.01.1973 के पश्चात् अन्य कोई अंतरण नये सीलिंग कानून के अनुसार स्वतः विधि विरूद्ध है उक्त रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर पूर्व में तस्दीक नामांतकरण संख्या 8 को न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा पत्रावली संख्या 314/66 में निर्णय दिनांक 13.07.1971 को निरस्त करवाने का भी स्पष्ट उल्लेख है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 की प्रक्रिया भी नही अपनाई गई एवं किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री भी चारों पुत्रियों के खातेदारी अधिकारों के खिलाफ उद्घोषणा प्राप्त कर प्रस्तुत नही की गयी साथ ही नये सीलिंग कानून की धारा 12 के तहत ड्राफ्ट स्टेटमेंट (D. S.) इत्यादि में भी रिकॉर्डेड खातेदार होने के बावजूद चारों पुत्रियां को सम्यक रूप से सुनबाई के बिना जमाबंदी से चारो खातेदार काश्तकार पुत्रियों का नाम हटा दिया गया। मूल न्यायालय पत्रावली सहायक समाहर्ता (सहायक कलक्टर) बारां की पृष्ठ संख्या 81 पर अंकित नामांतकरण संख्या 75 ग्राम शाहपुरा तहसील मांगरौल जिला कोटा (वर्तमान जिला बारां) में संवत् 2030 में भी "कल्ली के फौत होने एवं लडकियों/पुत्रियों भूलीबाई, पानाबाई, नट्‌टीबाई एवं दाखाबाई शादीशुदा मौजूद है" का स्पष्ट उल्लेख (नोट) है। मूल न्यायालय पत्रावली सहायक समाहर्ता (सहायक कलक्टर) बारां की पृष्ठ संख्या 55 पर जमाबंदी संवत् 2025–28 में ग्राम शाहपुरा तहसील मांगरौल जिला कोटा (वर्तमान जिला बारां) में चारो पुत्रियों के हक में विरासत इन्तकाल संख्या 50 दिनांक 10.09.1969 को तस्दीक होने का स्पष्ट नोट अंकित है अर्थात् संवत् 2025–28 (सन् 1968–69) में मृतक कल्लीबाई पत्नि स्व0 चतरा की निम्नलिखित चारों पुत्रियों के नाम जमाबंदी में रिकॉर्डेड खातेदारी रही है

(i) दाखाबाई पत्नि हीरालाल

(ii) पानाबाई पत्नि बजरंगलाल

(iii) भूलीबाई पत्नि रामनारायण

समस्त पुत्रियां चतरा पटेल निवासी शाहपुरा तहसील मांगरौल जिला कोटा (वर्तमान जिला बारां)

(iv) नट्‌टीबाई पत्नि भैरूलाल निवासी फतेहपुर जिला बारां

9. इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार से है:–

<u>निर्भय सिंह बनाम राजस्थान राज्य</u>

अपील सं. 56/चित्तौडगढ़/87 निर्णय दिनांक 19.12.1988(सदस्य श्री सी.एस.गोयल)

(क) राजस्थान कृषि जोत क्षेत्र पर उच्चतम सीमा का आरोपण अधिनियम, 1973 (सीलिंग का नया कानून)–01.01.1973 के पूर्व मूल भूमिधारक की हो चुकी थी–उच्चतम सीमा क्षेत्र का निर्धारण दिनांक 01.01.1973 के दिन उत्तराधिकारियों के जोत क्षेत्रों के संदर्भ के अनुसार किया जायेगा। (अनुच्छेद 4)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.08.04 16:54:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

(ख) राजस्थान कृषि जोत क्षेत्र पर उच्चतम सीमा का आरोपण अधिनियम, 1973 (सीलिंग का नया कानून)–धारा 2 (एफ) माता एवं बहिन ''परिवार'' के सदस्य नहीं है (अनुच्छेद 4) (1988 आर.आर.डी. 166)

<u>मूल सिंह बनाम राजस्थान राज्य</u>

अपील सं. 680/जैसलमेर, 1984, निर्णय दिनांक 18.02.1992

राजस्थान कृषि जोत पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (नयी सीलिंग विधि) धारा 11 और 12 मृतक निर्धारिती (assessee) के विधिक वारिसों को न तो धारा 11 के अधीन नोटिस दिया गया न ही धारा 12 के अधीन स्टेटमेंट दिया गया–अपितु यह केस मृतक के भाई के विरूद्ध की कार्यवाहियों के निर्णीत किया गया– ऐसी कार्यवाहियो में पारित आदेशों को बहाल नही किया जा सकता।(पैरा 6 और 8)

<u>भगवत सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य</u>

अपील सं. 392/जोधपुर, 85 निर्णय दिनांक 12.10.1990 (सदस्य श्री एस.बी. श्रीवास्तव)

(क) राजस्थान कृषि जोत पर उच्चतम सीमा (सीलिंग) का आरोपण अधिनियम, 1973 (नया सीलिंग कानून) धारा 15(1) के अन्तर्गत पुनः खोले जाने के मामले मे आगे कोई कार्यवाही करने के पूर्व धारा 11 एवं 12 के प्रावधानों का पालना करना चाहिये तथा धारा 12 के अंतर्गत आरोप विवरण तैयार कर संबंधित व्यक्तियों पर जारी किया जाना चाहिये। (अनुच्छेद 5) (1991 आर.आर.डी. 47)

तथापि जहां पर आरोप विवरण जारी नही करने से यदि करदाता के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ा है तो इस तकनीकी कमी के कारण मामला रिमाण्ड नही किया जावें।(अनुच्छेद10) (1991 आर.आर.डी. 47)

(ख) राजस्थान कृषि जोत पर उच्चतम सीमा (सीलिंग) का आरोपण अधिनियम, 1973 (नया सीलिंग कानून) धारा 6 तारीख 25.09.1970 के पूर्व स्थानांतरण के मामलों की जांच, यह मालूम करने हेतु कि ये स्थानांतरण के मामलों की जांच, यह मालूम करने हेतु कि ये स्थानांतरण यथार्थ है या नही, आवश्यक नही है, परन्तु यह निश्चित करना अनिवार्य है कि स्थानांतरण यथार्थ है या नहीं तथा क्या ऐसे स्थानांतरण दस्तावेजों के मार्फत सम्पति का टाईटल वास्तव में पारित किया गया या नहीं(अनुच्छेद–8) (1991 आर.आर.डी.48)

<u>मु.अमरी बाई बनाम राजस्थान राज्य</u>

अपील सं. 163/कोटा, 90 निर्णय दिनांक 17.01.1991 (श्री ओ.पी.जैन सदस्य)

(क) राजस्थान कृषि जोत पर उच्चतम सीमा (सीलिंग) का आरोपण अधिनियम, 1973 (नया सीलिंग कानून) धारा 23 (2ए) 1984 आर.आर.डी. 514 का निर्णय यह नहीं कहता कि अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जा सकती है। (अनुच्छेद 7) (1991 आर.आर.डी. 201)

(ख) राजस्थान कृषि जोत पर उच्चतम सीमा (सीलिंग) का आरोपण अधिनियम, 1973 (नया सीलिंग कानून) धारा 15 पुनः खोले गये मामले की सुनवाई करने के लिये जिस अधिकारी को नामांकित किया [illegible] वह मामले की सुनवाई करते समय राज्य सरकार के अधीनस्थ [illegible] करता परन्तु वह स्वतंत्र हैसियत में न्यायाधीश के [illegible] तथा तदनुसार अपने निर्णय देता है–धारा 15 के अंतर्गत सरकार द्वारा [illegible] से वह बाधित नही होता जहां पर कि ऐसा आदेश बिना अधिकारिता पारित किया गया है। (अनुच्छेद 9) (1991 आर.आर.डी. 201)

<u>अमरजीत सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.08.04 16:54:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज०)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बारां

अपील सं. 259 व 261/96 व 1/92, गंगानगर, निर्णय 18.06.1992 (सदस्य श्री सत्यनारायण सिंह)राजस्थान कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (नयी सीलिंग विधि), धारा 23 (2ए)–धारा 15 के अधीन किसी केस को पुनः खोलने के सरकार के निर्णय के विरूद्ध बोर्ड को कोई अपील या निगरानी नही होती–ऐसे निर्णय को अवैधता या अनियमितता के आधार पर चुनौती रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करनी चाहिए।(पैरा 6)

10. अतः उज्रदारान का उज्रदारी प्रार्थना पत्र को मुताबिक जबाव तहसीलदार मांगरोल स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी सहायक समाहर्ता एवं कार्यपालक दण्डनायक बारां का निर्णय दिनांक 19.03.1976 को पैरा संख्या 07 में उल्लेखित दस्तावेजी स्थिति के साथ–साथ पैरा संख्या 08 एवं पैरा संख्या 09 के अनुसार विधिक कार्यवाही/प्रक्रिया के लोप के कारण अपास्त किया जाता है चतरा की विरासत उसकी वेवा, दत्तक पुत्र रामकिशन व चारो पुत्रीयो के नाम जिसमें सभी का 1/6–1/6 हिस्सा होता है किन्तु चतरा की वेवा कल्ली फौत हो गई है इसलिए कल्ली वेवा का हिस्सा भी उक्त पॉचो के हिस्से में आता है वर्तमान में चतरा की पुत्रीयॉ पानावाई, दाखावाई, फूलीवाई, नटटीवाई भी फौत हो गई है उक्त पॉचो के हिस्से में 1/5 – 1/5 हिस्सा बनता है इन चारो पुत्रीयो के विधिक वारिस नियमानुसार हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही कराने के अधिकारी है चतरा की फौतगी (मृत्यु) के उपरांत नये सीलिंग कानून लागू होने (दिनांक 01.01.1973) के पश्चात् किये गये सभी पश्चातवर्ती इन्द्राज/नामांतरकरण स्वतः ही विधि विरूद्ध होने से (नल एण्ड बोईड) निरस्त/प्रभावशून्य है निर्णय की प्रति प्राधिकृत अधिकारी सहायक समाहर्ता एवं कार्यपालक दण्डनायक, बारां (उपखण्ड अधिकारी, बारां) को भिजवाई जावे साथ ही निर्णय की एक–एक प्रतियां प्रकरण में आवश्यक विधिसम्मत कार्यवाही हेतु अहलमद/रीडर द्वारा कार्यालय जिला कलक्टर बारा को मय मूल समस्त पत्रावली पुनः विधिक परीक्षण करने एवं अपील/नोअपील संबंधी अभिमत निर्धारण हेतु अनुरोध के साथ भिजवाई जावें। इस प्रकार राजस्व विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर (राज्य सरकार) द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत प्रकरण में समान निष्कर्ष प्राप्त होने की दशा में ही तहसीलदार मांगरौल जिला बारा को उक्त प्रकरण के अद्यतन राजस्व रिकॉर्ड का इस प्रकार पुनः परीक्षण करने कि यदि किसी दीगर व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा प्रकरण में उल्लेखित आराजी आबंटित नही हुई हो, किसी न्यायालय द्वारा प्रकरण में अन्यथा आदेश/स्थगन/प्रकरण विचाराधीन न हो एवं मौके पर निरंतर कब्जा उज्रदारान् (स्व. चतरा एवं स्व. कल्लीबाई जाति धाकड़ निवासी शाहपुरा तहसील मांगरौल जिला बारां के विधिक वारिसान) का ही हो, के संबंध में भी पुनः परीक्षण करने एवं तदुपरांत भू–राजस्व (लगान इत्यादि) निर्धारण/राजस्व वसूली (यदि अपेक्षित हो) कर राजस्व रिकॉर्ड में उज्रदारान्/प्रार्थीगण के हक में अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी की जावे। मूल न्यायालय पत्रावली सख्या 414/75 न्यायालय सहायक समाहर्ता (उपखण्ड अधिकारी) बारां को भी उज्रदारान द्वारा प्रस्तुत पत्रावली संख्या 01/2015 के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.08.04 16:54:40 IST
Reason: SelfAttested

(सुदर्शनसिंह तोमर)
अति० जिला कलक्टर, बारां